

अदावी जमाराशि पर नीति
Policy on Unclaimed Deposit
2022-23

परिचालन एवं सेवा विभाग OPERATION AND SERVICE DEPARTMENT

यूको बैंक, प्रधान कार्यालय UCO BANK, HEAD OFFICE

10, वि.त्रै.म. सरणी, कोलकाता-700001

10, BTM SARANI, KOLKATA-700001

केवल आंतरिक परिचालन हेतु
For Internal Circulation Only

Policy on Unclaimed Deposits 2022-23

1. Preamble

One of the important functions of the bank is to accept deposits from the public. But it so happens that some of the accounts are not operated upon by the customers for quite a long period under circumstantial compulsions and they become oblivious of their deposits. Accounts not operated upon by the customers for considerable time are termed as inoperative/dormant accounts and have inherent risk associated with them. Further, it poses difficulties to the customers and/or to their kin in tracing the account and in making it operative.

This policy document on unclaimed deposits outlines the guiding principles in respect of formulation of various safeguards and obligations on the part of the bank to fulfill its commitments towards the customers and recognizing the rights of the customers.

2. Classification of In-Operative Accounts:

All accounts (Savings Bank and Current) which are not operated upon for a continuous period of over 2 years shall be treated as Inoperative (dormant) accounts. In case of term deposits, the 2-year period shall be reckoned after the date of maturity. For the purpose of classifying an account as 'Inoperative' both the type of transactions i.e., "debit" as well as "credit" transactions induced including standing instructions at the instance of customers as well as third party shall be considered. However, the service charges levied by the bank or interest credited by the bank shall not be considered.

3. Transactions/Mode of Operations considered to keep an account as Operative:

A Savings as well as Current Account should be treated as inoperative/ dormant if there are no transactions (i.e., no credit or debit other than crediting of periodic interest or debiting of service charges) in the account for over a period of two years.

There may be instances where the Customer has given a mandate for crediting the interest on Fixed Deposit account to the Savings Bank account and there are no other operations in the Savings Bank account. Since the interest on Fixed Deposit account is credited to the Savings Bank account as per mandate of the customer, the same should be treated as operative account as long as the interest on fixed deposit account is credited to the Savings Bank account. The Savings Bank account can be treated as inoperative account only after two years from the date of the last credit entry of the interest on Fixed Deposit account and if there are no other operations in the account during the period.

अदावी जमाराशि पर नीति 2022-23

1. प्रस्तावना

जनता से जमाराशि स्वीकार करना बैंक के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। लेकिन ऐसा भी हो जाता है कि परिस्थितिजन्य बाध्यताओं के चलते ग्राहकों द्वारा कुछ खाते काफी लंबी अवधि तक परिचालित नहीं किये जाते हैं और वे अपनी जमाराशि से बेखबर हो जाते हैं। ग्राहकों द्वारा काफी लंबे समय से अव्यवहृत खातों को अपरिचालित/निष्क्रिय खाते कहा जाता है और उनके साथ अंतर्निहित जोखिम जुड़े होते हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसा होने से ग्राहकों और/या उनके परिजनों को खाते का पता लगाने और उसे सक्रिय करने में कठिनाई आती है।

अदावी जमाराशि पर यह नीतिगत दस्तावेज, ग्राहकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताएँ पूरी करने और उनके अधिकारों को मान्यता देने के लिए बैंक की ओर से निरूपित विभिन्न सुरक्षोपायों और दायित्वों से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांतों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

2. निष्क्रिय खातों का वर्गीकरण:

सभी खाते (बचत बैंक और चालू खाते), जो लगातार 2 से अधिक वर्षों की अवधि के लिए परिचालित नहीं किए गए हैं, उन्हें अपरिचालित(निष्क्रिय) खाता माना जाएगा। सावधि जमा के मामले में, 2 वर्षों की अवधि परिपक्वता तिथि के बाद से गिनी जाएगी। किसी खाते को 'निष्क्रिय' के रूप में वर्गीकृत करने के प्रयोजन से, दोनों तरह के किए गए लेन-देन, अर्थात् "आहरण" और "जमा" दोनों पर विचार किया जाएगा। इसमें ग्राहकों के साथ ही अन्य पक्ष की ओर से प्रदत्त स्थायी अनुदेशों से उत्पन्न लेन-देन भी शामिल हैं। हालांकि बैंक द्वारा लगाए गए सेवा शुल्क या जमा किए गए ब्याज को नहीं लिया जाएगा।

3. किसी खाते को सक्रिय रखने हेतु मान्य लेन-देन/ परिचालनों के प्रकार:

किसी बचत खाते एवं चालू खाते को अपरिचालित/निष्क्रिय माना जाना चाहिए जब दो से अधिक वर्षों की अवधि के दौरान उसमें कोई लेन-देन(यानी नियतावधिक ब्याज जमा होने या सेवा प्रभारों के काटे जाने के अतिरिक्त अन्य कोई जमा या आहरण नहीं) न हुआ हो।

ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहाँ ग्राहक ने सावधि जमा खाते से आनेवाले ब्याज को बचत बैंक खाते में जमा किए जाने का अधिदेश दे रखा हो और ऐसे बचत बैंक खाते का अन्य किसी तरह का परिचालन न हो। चूंकि ग्राहक के अधिदेश के अनुसार सावधि जमा खाते से आनेवाले ब्याज को बचत बैंक खाते में जमा किया जा रहा है, ऐसे बचत खाते को तब तक परिचालित खाता माना जाए जब तक सावधि जमा खाते से आ रहा ब्याज उसमें जमा किया जाता रहे। ऐसे बचत बैंक खाते को केवल तभी निष्क्रिय खाता माना जा सकता है, जब सावधि जमा खाते से आ रहे ब्याज की अंतिम जमा प्रविष्टि की तारीख से दो वर्ष बीत गए हों और इस अवधि में खाते में अन्य कोई परिचालन न हुए हों।

4. Review of accounts not operated for more than One year:

In view of the increase in the amount of the unclaimed deposits with banks year after year and the inherent risk associated with such deposits, banks should play a more pro-active role in finding the whereabouts of the account holders whose accounts have remained inoperative.

Bank shall make an annual review of accounts in which there are no operations (i.e. no credit or debit other than crediting of periodic interest or debiting of service charges) for more than one year. The bank shall make an endeavor to approach the customers by informing them in writing that there has been no operation in their accounts and to ascertain the reasons for the same. In case of non-operation in the account is due to shifting of the customers from the locality, they may be advised to provide the details of the new bank accounts to which the balance in the existing account could be transferred.

If the letters are returned undelivered, the customers shall immediately be put on enquiry to find out their whereabouts or their legal heirs in case they are deceased.

In case the whereabouts of the customers are not traceable, banks shall consider contacting the persons who had introduced him/her to the bank. Bank may also consider contacting the employer/or any other person whose details are available with bank's record. In case the customer has furnished his telephone number, the same may be used for contacting him. In case of Non Resident accounts, the bank may also contact the account holders through email and obtain their confirmation of the details of the account.

In case any reply is received from the account holder giving the reasons for not operating the account, bank may continue classifying the same as an operative account for one more year within which period the account holder shall be requested to operate the account. However, in case the account holder still does not operate the same during the extended period, bank shall classify the same as inoperative account after the expiry of the extended period.

5. Prior notice on classification of the account as In-Operative:

The account holders to be advised, by sending SMS, e-mails, intimation letters that their account is liable to be classified as dormant after a period of in-operation of 1 year and 9 months. i.e., three months before the account is classified as dormant / inoperative and requesting them to put through a transaction (credit or debit) to keep the account active. The letter to respective account holder will be sent by post. In case of joint account holders, intimation letter to be sent to all joint holders individually.

4. एक वर्ष से अधिक समय से अपरिचालित खातों का जायजा:

साल-दर-साल बैंकों की अदावी जमाराशि की वृद्धि, और ऐसी राशि से जुड़े अंतर्निहित जोखिम को देखते हुए, बैंकों को उन खातेदारों के ठिकानों का पता लगाने में और भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए जिनके खाते निष्क्रिय रहे हैं।

बैंक उन खातों का वार्षिक जायजा लेगा जिनमें एक वर्ष से अधिक समय से कोई भी परिचालन (यानी नियतावधिक ब्याज जमा होने या सेवा प्रभारों के काटे जाने के अतिरिक्त अन्य कोई जमा या आहरण नहीं) नहीं हुआ है। ग्राहकों को लिखित रूप से यह सूचित करके कि उनके खाते में कोई परिचालन नहीं किया गया है, साथ ही इसके कारण जानने के लिए बैंक ग्राहकों से संपर्क करने का प्रयास करेगा। यदि परिचालन न किए जाने का कारण ग्राहकों का अपने स्थान से कहीं और चले जाना है, तो उनसे आग्रह किया जा सकता है कि वे अपने उस नये बैंक खाते का विवरण प्रदान करें, जिसमें मौजूदा खाते की शेष राशि अंतरित की जा सके।

यदि ऐसे पत्र बिना सुपुर्दगी हुए लौट आते हैं, तो ग्राहकों का ठिकाना मालूम करने या उनके मृत होने की स्थिति में उनके कानूनी उत्तराधिकारियों का पता लगाने के लिए तुरंत पूछताछ शुरू की जाएगी।

यदि ग्राहकों के ठिकानों का पता लगा पाना संभव न हो, तो बैंक उन व्यक्तियों से संपर्क करने का प्रयास करेगा जिन्होंने उनका बैंक से परिचय कराया था। बैंक उस नियोक्ता/ अन्य किसी व्यक्ति से भी संपर्क का प्रयास कर सकता है जिसका विवरण बैंक के पास उपलब्ध है। यदि ग्राहक ने अपना टेलीफोन नंबर दिया है तो उससे संपर्क के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। प्रवासियों के खातों के मामले में, बैंक खातेदारों से ई-मेल के जरिए भी संपर्क कर सकता है और उनसे खातों के विवरण की पुष्टि प्राप्त कर सकता है।

यदि किसी खातेदार से खाता परिचालित न कर पाने के कारण बताते हुए कोई जवाब मिलता है, तो बैंक उस खाते को और एक वर्ष के लिए सक्रिय खाते में वर्गीकृत करके रख सकता है, जिसके दौरान खातेदार से खाता परिचालित करने का अनुरोध किया जाएगा। इसके बाद भी, यदि खातेदार बढ़ाई गई अवधि के दौरान भी अपने खाते का परिचालन नहीं करता है, तो बैंक बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति पर उसे निष्क्रिय खाते के रूप में वर्गीकृत कर देगा।

5. खाता निष्क्रिय रूप में वर्गीकृत करने के लिए पूर्व सूचना:

1 वर्ष और 9 माह की अपरिचालन अवधि के बाद, यानी अपरिचालित/निष्क्रिय के रूप में खाते के वर्गीकृत किये जाने से तीन माह पहले, संबंधित खातेदारों को एसएमएस, ई-मेल, सूचनार्थ-पत्र भेजकर यह बताया जाए कि उनका खाता निष्क्रिय रूप में वर्गीकृत होने जा रहा है, और उनसे अनुरोध किया जाए कि वे खाते को सक्रिय रखने के लिए एक लेन-देन (जमा या आहरण) संचालित करें। संबंधित खातेदार को डाक से पत्र भेजा जाएगा। संयुक्त खातेदारों के मामले में, सूचनार्थ पत्र सभी संयुक्त खातेदारों को अलग-अलग भेजा जाएगा।

6. Allowing operation in In-Operative Accounts:

The account holder should submit a letter to the Bank in person, along with the pass book for Savings Bank / Cheque book for current account, with the request to change the status of the account from “Dormant to Active’ indicating the reasons for not operating the account in the past. The account holder should also submit the following documents / records to the Bank for verification.

- Recent color passport size photo.
- Certified copy of officially valid documents for proof of identity.
- Certified copy of officially valid documents for proof of address.

Due diligence in allowing operations in Inoperative Accounts:

- In order to reduce the risk of fraud etc., while allowing operations in these accounts, due diligence should be exercised by ensuring the genuineness of transactions, verification of signature and identity, etc. However, it has to be ensured that the customer is not put into inconveniences in any manner.

Segregation of the In-Operative Accounts:

The segregation of the inoperative accounts from the operative accounts is from the point of view of reducing risk of frauds etc. in such accounts. However, all efforts shall be made to ensure that the customer does not get inconveniences in any way, just because his/her account has been rendered inoperative. The transaction shall be monitored at a higher level both from the point of view of preventing fraud and making a Suspicious Transaction Report after assessment. However, the entire process to remain unnoticeable by the customer.

7. Depositor Education and Awareness Fund (DEAF):

In terms of announcement of Monetary Policy 2013-14 and pursuant to the enactment of the Banking Laws (Amendment) Act, 2012, Section 26A has been inserted in the Banking Regulation Act, 1949, which *inter alia*, empowered RBI to establish a Depositor Education and Awareness Fund (DEAF). Accordingly, the DEAF Scheme, 2014 has been made operational. In terms of RBI guidelines, amounts outstanding in the following accounts remaining inoperative for 10 years and above are to be transferred to DEAF A/c of RBI along with interest wherever applicable.

- Interest bearing Deposit A/cs,
- Non-Interest-bearing Deposit accounts, and
- Other Credit Items.

6. निष्क्रिय खातों में परिचालन की अनुमति:

खातेदार व्यक्तिगत रूप से आकर बचत खाते की पास-बुक/चालू खाते की चेक-बुक के सहित बैंक को एक पत्र प्रस्तुत करे, जिसमें बीती अवधि में खाता परिचालित न करने के कारणों का उल्लेख करते हुए खाते की स्थिति को 'निष्क्रिय से सक्रिय' करने का अनुरोध किया गया हो। खातेदार बैंक को निम्नलिखित दस्तावेज/ अभिलेख भी सत्यापन के लिए प्रस्तुत करे।

- हालिया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो
- पहचान के प्रमाण के लिए आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति
- पते के प्रमाण के लिए आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति

निष्क्रिय खातों में परिचालन की अनुमति देने में समुचित सावधानी:

ऐसे खातों में परिचालन की अनुमति देने में धोखाधड़ी इत्यादि के जोखिम को कम करने के क्रम में लेन-देन की वास्तविकता, हस्ताक्षर और पहचान का सत्यापन, आदि सुनिश्चित करके समुचित सावधानी बरती जाए। तथापि यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्राहक किसी भी रूप में परेशानी में न पड़े।

निष्क्रिय खातों का पृथक्करण

सक्रिय खातों से निष्क्रिय खातों का पृथक्करण धोखाधड़ी इत्यादि के जोखिम को कम करने की दृष्टि से किया जाता है। ऐसा होते हुए भी यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किये जायेंगे कि ग्राहक को महज इस वजह से किसी तरह की असुविधाएँ न हों कि उसके खाते को निष्क्रिय कर दिया गया है। धोखाधड़ी को रोकने और मूल्यांकन पश्चात संशयास्पद लेन-देन रिपोर्ट तैयार करने, दोनों ही दृष्टियों से लेन-देन की उच्चतर स्तर पर निगरानी की जाएगी। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया से ग्राहक को अनभिज्ञ रखना होगा।

7. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ):

मौद्रिक नीति 2013-14 की घोषणा के संदर्भ में और बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 लागू होने के अनुसार खंड 26ए को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में शामिल किया गया है, जिससे अन्य बातों के साथ-साथ, आरबीआई को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि (डीईएएफ) स्थापित करने का प्राधिकार दिया गया है। तदनुसार, डीईएएफ योजना, 2014 परिचालित की गई है। आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, 10 वर्ष एवं और अधिक समय तक निम्नलिखित खातों की शेष राशियों के अपरिचालित रहने पर ऐसी राशियाँ यथाप्रयोज्य ब्याज सहित आरबीआई के डीईएएफ खाते में अंतरित की जाएँगी।

- ब्याज युक्त जमा खाते
- ब्याजरहित जमा खाते, और
- अन्य जमा मदें।

8.Payment of Interest to the Depositors/Claimants on the interest bearing unclaimed deposits transferred to RBI DEAF account:

In respect of unclaimed amount transferred to the Depositor Education and Awareness Fund (DEAF), we shall be liable to repay a depositor or any other claimant, claiming his deposit or unclaimed amount, at such rate of interest as may be specified by the Reserve Bank of India in this behalf. Where we have paid such amount or allowed operation of such account or deposit, we will apply for refund of such amount from the DEAF fund. Reserve Bank of India specifies that the rate of interest payable by us to the depositors/ claimants on the unclaimed interest-bearing deposit amount (SB and Term Deposit) transferred to DEAF fund shall be 4 % p.a. up to June 30, 2018, 3.5 % w.e.f. July 01, 2018 up to May 10, 2021 and at 3 % with effect from May 11, 2021 till the time of payment to the depositor/ claimant.

The amount of interest payable be made rounding off the amount of interest to the nearest Rupee.

The interest payable from the Fund on a claim shall accrue only from the date on which the balance in an account was transferred to the Fund to the date of payment to the customer/ depositor.

9.Unclaimed deposits/inoperative accounts operational guidelines and follow up:

- There shall not be any charge for activation of inoperative account.
- Amounts lying in inoperative accounts shall be properly audited by the internal auditors/statutory auditors of the bank.
- Interest on savings bank accounts shall be credited on regular basis whether the account is operative or not. If a Fixed Deposit Receipt matures and proceeds remain unpaid, the amount left unclaimed with the bank will attract savings bank rate of interest.
- Bank shall display the name and address of account holders of unclaimed deposit accounts, which are inactive / inoperative for ten years or more on its **Web-site** preferably with **FIND** option. In case such accounts are not in the name of individuals, the name of individuals authorized to operate the accounts should be indicated.
- Bank shall also display on the website, the information on the process of claiming the unclaimed deposit/activating the inoperative account and necessary forms and documents for claiming the same.

8. आरबीआई के डीईएफ खाते में अंतरित ब्याजयुक्त अदावी जमाराशि पर जमाकर्ताओं/दावेदारों को ब्याज भुगतान :

जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि(डीईएफ) में अंतरित की गयी अदावी राशि के संबंध में, हम जमाकर्ता या किसी अन्य दावेदार को उसकी जमाराशि या अदावी राशि का दावा करने पर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संदर्भ में निर्दिष्ट ब्याज दर पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। जहाँ हमने ऐसी राशि का भुगतान किया है या ऐसे खाते या जमाराशि के परिचालन की अनुमति दी है, वहाँ हम डीईएफ निधि से ऐसी राशि की वापसी के लिए आवेदन करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक विनिर्दिष्ट करता है कि डीईएफ निधि में अंतरित अदावी ब्याजयुक्त जमाराशि(बचत बैंक एवं सावधि) पर हमारे द्वारा जमाकर्ताओं/दावेदारों को देय ब्याज दर 30 जून, 2018 तक 4% प्रति वर्ष, 1 जुलाई 2018 से 10 मई 2021 तक 3.5 % प्रति वर्ष तथा 11 मई 2021 से जमाकर्ता/दावेदार को भुगतान किए जाने के समय तक 3 % प्रति वर्ष रहेगी।

देय ब्याज की राशि को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।

किसी दावे पर निधि से देय ब्याज, किसी खाते की शेष राशि निधि में अंतरित किए जाने की तारीख से ग्राहक/जमाकर्ता को भुगतान करने की तारीख तक के लिए ही प्रोद्भूत होगा।

9. अदावी जमाराशि/ निष्क्रिय खातों के परिचालन दिशानिर्देश एवं अनुवर्ती कार्रवाई:

- निष्क्रिय खाते को सक्रिय करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- आंतरिक लेखापरीक्षक/ सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा निष्क्रिय खाते में पड़ी राशि की विधिवत लेखापरीक्षा की जाएगी।
- बचत बैंक खातों में ब्याज नियमित रूप से जमा किया जाता रहेगा चाहे खाता परिचालन में हो अथवा न हो। यदि एक सावधि जमा रसीद खाता परिपक्व होता है और उसकी प्राप्ति राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो बैंक के पास बची अदावी राशि पर बचत बैंक ब्याज दर लागू होगी।
- बैंक दस वर्षों या और अधिक समय से निष्क्रिय/अपरिचालित अदावी जमा खातों के खातेदारों के नाम एवं पते, प्राथमिकता से खोज विकल्प के साथ अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। जहाँ ऐसे खाते व्यक्तियों के नाम पर नहीं हैं, वहाँ खाते के परिचालन के लिए अधिकृत व्यक्तियों के नाम दर्शाए जाने चाहिए।
- बैंक अदावी जमाराशि का दावा करने/निष्क्रिय खाता सक्रिय करने की प्रक्रिया संबंधी सूचना, साथ ही ऐसे दावे के लिए आवश्यक फार्म और दस्तावेज भी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा।

- Bank may also consider launching a special drive for finding the whereabouts of the customers/legal heirs in respect of existing accounts which have already been transferred to the separate account head 'inoperative accounts'.

10. No Minimum Balance and Incidental Charges for Inoperative Accounts:

No charges are to be levied in inoperative accounts i.e. no charges for non-maintenance of minimum balance are to be levied in inoperative accounts and also, Incidental charges will not be levied once the account becomes inoperative after two years of non-operation in the account

11. Direct Benefit Transfer/Electronic Benefit Transfer/Scholarships for students etc.

For crediting cheques/Direct Benefit Transfer/Electronic Benefit Transfer/Scholarships for students etc., into accounts / Accounts with zero balance opened for the beneficiaries under various Central/State Government schemes such accounts are not to be classified as dormant/inoperative due to non-operation of the account for over two years.

12. Reporting to RBI :

Section 26 of the Banking Regulation Act, 1949 provides, inter alia, that every banking company shall, within 30 days after close of each calendar year submit a return in the prescribed form and manner to the Reserve Bank of India as at the end of each calendar year (i.e., 31st December) of all accounts in India which have not been operated upon for 10 years.

13. Preservation of records:

Branches are to take steps for preserving the customer account information including preservation of records pertaining to the identification of the customers and their addresses obtained while opening the account, for at least five years after the business relationship is ended.

14. Mandate of customers to credit dividend on shares:

Where a customer has given a mandate for crediting dividend on shares to SB account and there are no other operations in the account, such account to be treated as an operative account as long as the dividend is credited to the Savings Bank account. The Savings Bank account can be treated as inoperative account only after two years from the date of the last credit entry of the dividend, provided there is no other customer induced transaction.

15. Clarification on Operational Matters:

MD & CEO /Executive Director are authorized to issue clarifications on all operational matters relating to this Policy.

Note: Regulatory changes as per RBI notification will form part of Policy.

- जो मौजूदा खाते 'निष्क्रिय खातों' के अलग लेखा शीर्ष के तहत पहले ही डाल दिये गये हैं उनसे संबंधित ग्राहकों/कानूनी उत्तराधिकारियों के ठिकानों का पता लगाने के लिए बैंक एक विशेष अभियान चलाने पर भी विचार कर सकता है।

10. निष्क्रिय खातों के लिए कोई भी न्यूनतम शेष राशि एवं प्रासंगिक प्रभार नहीं:

निष्क्रिय खातों पर कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा, यानी न्यूनतम शेष राशि को न बनाए रखने पर कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा, और दो वर्षों तक खाते में परिचालन न किए जाने के फलस्वरूप निष्क्रिय हो जाने के बाद प्रासंगिक प्रभार भी नहीं लगाया जाएगा।

11. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण/ इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण/ छात्रवृत्तियाँ इत्यादि :

केंद्र/ राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए खोले गए खातों/ शून्य शेष खातों में चेक/प्रत्यक्ष लाभ अंतरण/ इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण/विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति आदि जमा करने के मामले में, ऐसे खाते दो वर्षों से ज्यादा अवधि तक परिचालित नहीं किए जाने के कारण निष्क्रिय/अपरिचालित खाते के रूप में वर्गीकृत नहीं किये जाएंगे।

12. आरबीआई को रिपोर्ट करना :

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 26 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि प्रत्येक बैंकिंग कंपनी प्रत्येक पंचांग वर्ष की समाप्ति (यानी 31 दिसंबर) के 30 दिनों के भीतर, निर्धारित प्ररूप और रीति से भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में 10 वर्षों से परिचालित न किए गए सभी खातों की एक विवरणी प्रस्तुत करेगी।

13. अभिलेखों का संरक्षण :

खाता खोलते समय ग्राहकों से प्राप्त की गई पहचान और उनके पतों से संबंधित अभिलेखों के संरक्षण समेत शाखाएँ, ग्राहक खाते की सूचना को व्यावसायिक संबंध की समाप्ति के बाद कम से कम 5 वर्षों तक संरक्षित रखने की व्यवस्था करेगी।

14. शेषों पर लाभांश जमा करने के लिए ग्राहकों का अधिदेश :

जिन मामलों में किसी ग्राहक ने शेषों पर प्राप्त लाभांश को बचत खाते में जमा करने का अधिदेश दिया हुआ है और ऐसे खाते में कोई और परिचालन नहीं हुआ है, उनको तब तक सक्रिय खाता माना जाएगा जब तक लाभांश बचत खाते में जमा होता रहे। लाभांश की अंतिम जमा प्रविष्टि की तारीख से दो वर्षों के बाद ही ऐसा बचत बैंक खाता निष्क्रिय माना जा सकता है, बशर्ते ग्राहक प्रेरित कोई अन्य लेन-देन न हुआ हो।

15. परिचालन संबंधी मामलों पर स्पष्टीकरण:

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ कार्यपालक निदेशक इस नीति से संबंधित सभी परिचालन मामलों पर स्पष्टीकरण जारी करने के लिए अधिकृत हैं।

टिप्पणी : आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार होनेवाले नियामक परिवर्तन नीति का हिस्सा बन जाएंगे।